भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4247

बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सीमावर्ती क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाएं</u>

4247. श्री मनीश तिवारीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट नवीकरणीय ऊर्जा सुविधा स्थापित करने की अनुमति देने के लिए किसी मौजूदा नियम, विनियम या सुरक्षा प्रोटोकॉल में संशोधन किया है या उसमें ढील दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सुविधा स्थापित करने के लिए दी गई अनुमतियों और मंजूरियों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें शामिल कंपनी का नाम क्या है;

(ग) प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा सुविधा स्थापित करने के लिए सही स्थान, आकार और क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा महत्वपूर्ण रक्षा अवसंरचना और रणनीतिक सैन्य क्षेत्रों से इसकी निकटता कितनी है;

(घ) क्या इस परियोजना के संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई आपत्ति या चिंता व्यक्त की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार का इरादा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर इस सुविधा को स्थापित करने की अनुमति देने के निर्णय की समीक्षा या पुनर्विचार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ङ): गृह मंत्रालय (एमएचए), सीमा प्रबंधन विभाग ने सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जब भी कोई बुनियादी ढांचा विकास होता है, तो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सुरक्षा जोखिमों का आकलन करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न हो। यदि परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है, तो बीएसएफ आकलन के बाद गृह मंत्रालय/रक्षा मंत्रालय (एमओडी) से स्वीकृति मिलने पर "अनापत्ति" की सूचना देता है।

इसके अलावा, एमओडी ने सूचित किया है कि विद्युत परियोजनाओं के संबंध में नोडल मंत्रालय (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या विद्युत मंत्रालय) से एमओडी एनओसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एनओसी आवेदनों को संबंधित रक्षा सेवा संगठनों से प्राप्त इनपुट और निम्नलिखित दिशानिर्देशों के आधार पर एमओडी द्वारा संसाधित किया जाता हैः

i. सीमा/अन्य क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों/अन्य गतिविधियों पर सुरक्षा संबंधी विचार करने के संबंध में दिनांक 8.5.2023 के दिशा-निर्देश। ये दिशा-निर्देश गोपनीय प्रकृति के हैं और इनका लोकसभा में कार्य संचालन के नियमों और प्रक्रियाओं के अध्याय-VII पैरा 41 (2) (xxi) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

ii. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) (विमान परिचालन की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियम 2015 से संबंधित जीएसआर 751 (ई)।

*****